तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
22/6/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं। पत्रावली हेतु सुनवाई दिनांक 12/7/2022 को पेश हो।
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी विभागीय कार्य से बाहर / अवकाश पर होने से पत्रावली हेतु सुनवाई दिनांक 12/8/2022 को पेश हो।
12/8/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी विभागीय कार्य से बाहर / अवकाश पर होने से पत्रावली हेतु सुनवाई दिनांक [illegible] को पेश हो।
16/8/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया कि ग्राम धनारी कला, पटवार हल्का-धनारी कला तहसील-बावड़ी, जिला-जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थिया के पिता व पति की पुश्तैनी [illegible] कृषि भूमि है-खसरा [illegible] 317/5, 340 कुल 5 खसरा भूमि आयी हुई है। सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 संलग्न पेश की। प्रार्थिया के पिता व पति को बाबूराम पुत्र किशनाराम

सहायक कलेक्टर प्रथम

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व पाबुराम पुत्र किशनाराम उक्त दोनों ही नामों से जाना जाता था। उक्त दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है। इसी ग्रामीण बोल-चाल की भाषा के अनुसार उनका नाम खातेदारी भूमि में पाबुराम पुत्र किशनाराम दर्ज हुआ। लेकिन उनके सारे सरकारी दस्तावेज में नाम बाबुराम पुत्र किशनाराम दर्ज है। खातेदार का देहान्त हो चुका है। अब बाबुराम के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की वल्दियत में बाबुराम दर्ज है। इसलिए अब बाबुराम के वारिसानों का फौतदगी नामान्तरण दर्ज करने में कानूनी परेशानी आ रही है। इसलिए खातेदार पाबुराम पुत्र किशनाराम नाम दर्ज है जो गलत दर्ज है। इसको दुरस्त कर इसके स्थान पर बाबुराम पुत्र किशनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें। साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए। पटवार हल्का धनारी कलां व तहसीलदार बावड़ी की जांच रिपोर्ट अनुसार बाबुराम पुत्र किशनाराम एवम् बाबुराम पुत्र किशनाराम एक ही व्यक्ति है। पाबुराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र किशनाराम नाम दुरस्त किया जाता है तो राजहीत	

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kancha
Date: 2022.09.30 14:46:14
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म व ...
	प्रभावित नहीं होगा। तहसीलदार बावड़ी की जांच रिपोर्ट, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्व प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण के पिता व पति के ग्राम धनारी कला के खसरा सं. 222, 227/1, 317/5, 350 भूमि में पाबुराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर बाबुराम पुत्र किशनाराम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर अमल-दरामद करें तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। आदेश आज दिनांक 16/08/2022 को खुले न्यायालय में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम एवं दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ...	
7/9/2022	वकील प्रार्थी श्री सोहन लाल चौधरी ने एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 152 व 153 CPC सपठित धारा 151 CPC का	

उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बावड़ी, जिला जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rat
Date: 2022.09.30 14:46:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं

FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

ORDER SHEET आदेश पत्र

CNR NUMBER सी.एन.आर संख्या ....

Court of के न्यायालय में .... उपखण्ड अधिकारी at पर बावड़ी, जिला जोधपुर

Kind of Case प्रकरण का प्रकार .... 136 RLR Act

Number of Case प्रकरण की संख्या ....

.... Year वर्ष ....

बिरधाराम .... Versus बनाम .... सरकार

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण
1	2	3
	प्रस्तुत कर निर्णय के टंकण त्रुटि को सुधार करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को सुनवाई हेतु तलब की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में खसरा संख्या 227 दर्ज है। निर्णय दिनांक 16/8/2022 में खसरा संख्या 227 के स्थान पर 222 दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 16.08.2022 में दर्ज खसरा संख्या 222 के स्थान पर खसरा संख्या 227 पढा जावे। उक्त आशय की टंकण दुरुस्ती की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:46:14 IST
Reason: SelfAttested